न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 36/2021 अपील

1. ओमप्रकाश पुत्र सोहन लाल खटीक बनाम निवासी बनेडा
2. श्रीमती चांदी पत्नी सोहनलाल खटीक निवासी बनेडा तहसील बनेडा

–अपीलार्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

– रेस्पोडेण्टगण

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बनेडा बमामले प्रकरण संख्या 12/2021 निर्णय दिनांक 07.07.2021 अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री भोपाल लाल गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 14.06.2023

अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बनेडा के प्रकरण सं. 12/2021 निर्णय दिनांक 07.07.021 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का सरदारनगर के आराजी संख्या 2513 रकबा 03 बिस्वा किस्म चारागाह भूमि पर अपीलार्थीगण द्वारा पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण करना बताया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण को संयुक्त नोटिस दिया। अपीलार्थी संख्या 01 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। किन्तु कोई तारीख पेशी नही दी गयी। मामले में दिनांक 25.08.2021 को पटवार हल्का द्वारा अपीलार्थी संख्या 01 को जानकारी दी गयी कि अपीलार्थीगण के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही होकर अपीलार्थीगण के पक्के निर्माण को हटाने का आदेश कर दिया गया हैं। इस पर अपीलार्थी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय जाकर जांच की तो पता चला कि पत्रावली में प्रथम पेशी दिनांक 7.7.2021 को थी एवं उसी दिन मामला दर्ज कर नोटिस जारी करना आदेशिका में अंकित हैं एवं निर्णय दिनांक भी 7.7.2021 अंकित हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्व उक्त निर्णय पारित किया जो अपास्त होने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मामले में मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट आधार बनाकर अपीलार्थीगण को आराजी संख्या 2513 रकबा 10.18 बीघा में से 03 बिस्वा का अतिक्रमी मानकर पक्का निर्माण करना बताया हैं। इस आराजी संख्या 2513 के दक्षिणी दिशा में अपीलार्थी संख्या 02

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पत्रावली में प्रथम पेशी दिनांक 7.7.2021 को थी एवं उसी दिन मामला दर्ज कर नोटिस जारी करना आदेशिका में अंकित हैं एवं निर्णय दिनांक भी 7.7.2021 अंकित हैं। जिससे स्पष्ट होता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी एवं न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्व उक्त निर्णय पारित किया जो अपास्त होने योग्य हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बनेडा द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 7.7.2021 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में यदि अपीलार्थीगण का कोई अतिक्रमण नहीं हैं, तो वे लिखकर दे देवे कि, अपीलार्थीगण द्वारा राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया हैं, यदि अतिक्रमण पाया जाता हैं, जो उसे तोड़ दिया जावे, अपीलार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रस्तुत मामले में निर्णय दिनांक के बारे में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधित आदेश पारित किया कि उक्त निर्णय दिनांक 7.7.2021 लिपकीय त्रुटिवश अंकित हो गयी हैं, जबकि निर्णय दिनांक 22.7.2021 पढा जाये। लिपिकीय त्रुटि में संशोधन बाबत् कोई कानूनी बाधा नही हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थीगण की अपील बेबुनियाद एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि पटवारी हल्का सरदारनगर तहसील बनेडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 01.07.2021 अनुसार पटवारी हल्का द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण बाबत् प्रश्नगत आराजी की पैमाईश के बारे में कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया हैं, जिससे जाहिर हो सके कि अतिक्रमित स्थल किस प्रकार चिन्हित किया गया ? उक्त पर्चा मौका अपीलार्थीगण की या अन्य किसी कि उपस्थिति में तैयार किया गया हो ? ऐसा कोई अंकन भी रिपोर्ट में नहीं हैं। जिससे पटवारी हल्का की रिपोर्ट को विधिनुरूप नही ठहराया जा सकता हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली परीक्षण से यह जाहिर होता हैं कि, अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 22.07.2021 अनुसार निर्णय पारित किया हैं, किन्तु निर्णय में दिनांक 7.7.2021 अंकित कर रखी हैं। चूंकि जब अपीलार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व अपील प्रकरण पेश किया गया, उसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 31.08.2021 में संशोधन आदेश पारित किया गया कि उक्त निर्णय दिनांक 7.7.2021 नहीं होकर 22.07.2021 पढा जावे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं के आदेश के बारे में एक माह बाद पता

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर

चला कि प्रकरण में निर्णय दिनांक गलत अंकित हो रखी हैं। यदि अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 22.7.2021 को ही निर्णय एवं आदेशिका की सत्यापित प्रति प्राप्त कर ली जाती, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक में किस प्रकार संशोधन किया जाता ? निर्णय दिनांक में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के मौका पर्चा में पैमाईश का अंकन नहीं होने एवं अपीलार्थीगण की उपस्थिति में नाप चौप का अंकन नहीं होने व आदेशिका में निर्णय दिनांक तथा संशोधन दिनांक में विरोधाभास स्थिति का लाभ अपीलार्थीगण को दिया जाना न्यायोचित ठहरता हैं। प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाना उचित ठहरता हैं कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की पैमाईश बाबत्, अपीलार्थीगण को सूचना नोटिस जारी कर, प्रश्नगत आराजी की पैमाईश की जावे। बाद पैमाईश, अपीलार्थीगण का अतिक्रमण पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर अतिक्रमित स्थल से अतिक्रमण हटाया जावे। उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की मौके की पैमाईश बाबत् अपीलार्थीगण को सूचना नोटिस जारी कर, प्रश्नगत आराजी की पैमाईश की जावे। बाद पैमाईश, अपीलार्थीगण का अतिक्रमण पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाकर अतिक्रमित स्थल से अतिक्रमण हटाया जावे। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बनेडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा